न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री एल.एन मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 21/2018/(2018/00021) जिला–अजमेर

1. श्रीमती गुलाबी पत्नी हुसैन अली
2. आबिद हुसैन पुत्र श्री हुसैन अली
3. अली हुसैन पुत्र श्री हुसैन अली
4. सुबराती पुत्री हुसैन अली
   समस्त जाति मुसलमान निवासी दौराई तहसील अजमेर

–––अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती सकिना पुत्री भूर अली पत्नी श्री अली हैदर
2. श्रीमती मेहमुदा पुत्री श्री भूर अली पत्नी श्री मोहर्रम अली
   समस्त जाति मुसलमान निवासी दौराई तहसील व जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर।

––––प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 26–12–2017
अन्तर्गत अपील संख्या 24/2016
बउनवान शकिना व अन्य बनाम श्रीमती गुलाबी व अन्य

————

उपस्थित– 1. श्री लेखू मंघानी अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री अजीत सिंह राठौड़, अभिभाषकगण प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 27.08.2019

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष नामान्तरकरण संख्या 16 दिनांक 20–2–2015 के विरूद्ध एक अपील उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर नामान्तरकरण निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार अजमेर को विवादग्रस्त आराजियात बाबत विभिन्न न्यायालयों में लम्बित अथवा निर्णित प्रकरणों के प्रकाश में उभय पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान कर विवादित आराजियात बाबत पुनः विधिक वारिसानों के समुचित तथ्यों की जांच कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु

प्रतिप्रेषित कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि ग्राम दौराई स्थित विवादग्रस्त आराजियात कुल 33 बीघा 14 बिस्वा 10 बिस्वांसी के संयुक्त खातेदार हुसैन अली व भूरा पुत्रगण अमीर अली थे। दोनों ही संयुक्त खातेदारों की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तरकरण संख्या 171 दिनांक 29–6–1992 स्वीकृत हुआ। जिसमें मृतक हुसैन अली के स्थान पर अपीलार्थी संख्या 1 से 3 गुलाबी, आबिद हुसैन व अली हुसैन तथा सहखातेदार मृतक भूर अली के स्थान पर उनके पुत्र मोहम्मद हुसैन का नाम दर्ज किया गया। उक्त नामान्तरकरण में हुसैन अली व भूर अली की सम्पूर्ण भूमि उनके वारिसान के नाम दर्ज हो गई थी परन्तु इसके बाद जो जमाबंदी बनाई गई उसमें पुराने खाता संख्या 329 खसरा संख्या 1112, 1791, 1794, 1798, 2041, 1116 कुल 10 बीघा 5 बिस्वा भूमि जिसके नये नम्बर खाता संख्या 495 खसरा संख्या 1530, 1569, 1573, 1621, 1634 व 1939 की भूमि अकेले ही मोहम्मद हुसैन के नाम दर्ज कर दी गई जिसके कारण वर्तमान अपीलार्थीगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 एवं 188 प्रस्तुत कर रखा है जो उपखण्ड अधिकारी अजमेर के न्यायालय में आज भी लम्बित है और मोहम्मद हुसैन की मृत्यु के कारण वर्तमान अपीलार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी अजमेर के न्यायालय में उक्त वाद में आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्पष्ट किया कि मोहम्मद हुसैन के कोई संतान नहीं थी इसलिए उनके वारिस केवल वर्तमान अपीलार्थीगण है इसलिए मोहम्मद हुसैन की सम्पूर्ण भूमि के खातेदार वर्तमान अपीलार्थीगण हो गये है। अतः वाद पत्र में संशोधन किया जावे। इसी दौरान मोहम्मद हुसैन की मृत्यु हो गई और वह लाऔलाद फौत हुआ। इसलिए उनकी एक मात्र वारिस उनकी पत्नी बानो बीबी ही मोहम्मद हुसैन की वारिस थी। मोहम्मद हुसैन का जो विरासत का नामान्तरकरण संख्या 16 दिनांक 20–2–2015 स्वीकार हुआ उसमें मृतक मोहम्मद हुसैन की सम्पूर्ण भूमि बानो बीबी के नाम दर्ज कर दी गई। इस आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी अजमेर के न्यायालय में अपील की जिसे उन्होंने स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार अजमेर को रिमाण्ड कर दिया।

उन्होनें यह भी तर्क दिया कि नामान्तरकरण संख्या 171 दिनांक 29–6–1992 स्वीकार होने के 15 वर्ष पश्चात वर्तमान रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या 1 व 2 ने इस नामान्तरकरण संख्या 171 दिनांक 29–6–1992 के विरूद्ध एक अपील उपखण्ड अधिकारी अजमेर के न्यायालय में पेश की जो खारिज की गई। इसके पश्चात इन्हीं पक्षकारों ने कलक्टर अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की वह भी खारिज हो गई। तत्पश्चात अपील संख 54/2008 संभागीय आयुक्त अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो भी दिनांक 18–11–2013 को इस आधार पर

अस्वीकार की गई कि वर्तमान प्रत्यर्थीगण सक्षम न्यायालय में अपने अधिकारों की घोषणा करावे कि वे भूर अली की वारिस है। इस आदेश के विरूद्ध जब राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई तो राजस्व मण्डल अजमेर ने संभागीय आयुक्त अजमेर के निर्णय की पुष्टि की है। परन्तु प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने अपने अधिकार/विरासत तय करने के लिए कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर नामान्तरकरण संख्या 16 दिनांक 20–2–2015 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जो श्रवण योग्य ही नहीं थी।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मोहम्मद हुसैन के कोई सन्तान नहीं थी और उनकी एक मात्र वारिस उनकी पत्नी बनो बीबी ही थी जिनके नाम नामान्तरकरण संख्या 16 दिनांक 20–2–2015 स्वीकार हुआ था। चूंकि बानो बीबी की मृत्यु हो गई और मुस्लिम विधि में मुस्लिम लॉ की धारा 217 (1) के तहत मुस्लिम उत्तराधिकार में सब अपनी सम्पत्ति के स्वतंत्र स्वामी होते है। पत्नी से संबंधित सम्पत्ति के बारे में यह व्यवस्था की गई है कि यदि पत्नी लाऔलाद मरती है और पति पूर्व में ही मर चुका है तो ऐसी महिला की सम्पति मृतक महिला के भाई बहनों व माता पिता को प्राप्त हो जायेगी। प्रस्तुत प्रकरण में मृतक बानो बीबी के भाई अपीलांट संख्या 2 व 3 क्रमश आबिद अली व अली हुसैन है। इसलिए ग्राम पंचायत दौराई ने दिनांक 11–7–2013 को जो सजरा बनाया उसमें बानो बीबी के वारिसों में उनके भाई अपीलांट संख्या 1 व 2 का नाम दर्शाया गया था। यह सजरा पूर्ण रूप से मुस्लिम लॉ की धारा 217 (1) के प्रावधानों के तहत ही था। इसलिए उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की गई थी उसमे स्वंय वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने अंकित किया है कि बानो बीबी की मृत्यु के बाद उक्त सम्पत्ति मृतका के भाईयों के नाम दर्ज कर दी जावेगी। उपखण्ड अधिकारी, अजमेर का आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है। उन्होंने केवल वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्यों को हुबहु अंकित कर दिया। वर्तमान अपीलार्थीगण की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई थी परन्तु निर्णय में उसका उल्लेख तक नहीं किया गया।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 अपने आपको भूर अली की पुत्रिया तथा मृतक मोहम्मद हुसैन की बहने होने का तर्क प्रस्तुत कर रही है। मृतक मोहम्मद हुसैन की सम्पत्ति में तथाकथित बहनों का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इन्हें अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। नामान्तरकरण संख्या 171 दिनांक 29–6–1992 आज भी यथावत कायम है। इसलिए बाद वाले नामान्तरकरण संख्या 16 दिनांक 20–2–2015 के विरूद्ध अपील यदि स्वीकार भी कर ली गई है तो भी प्रस्तुत प्रकरण में किसी भी प्रकार की कार्यवाही संभव नहीं है और संभागीय आयुक्त एवं राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय के अनुसार वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को अपने अधिकारों को तय करने के लिए सक्षम न्यायालय में नियमित वाद ही प्रस्तुत करना चाहिए था। जब तक नामान्तरकरण संख्या 171 दिनांक 29–6–1992 कायम है तब तक कोई भी अन्य आदेश पारित नहीं किये जा सकते है, क्योंकि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 16 दिनांक 20–2–2015 तो मोहम्मद हुसैन पुत्र भूर अली की विरासत का है जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड

अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–12–2017 निरस्त किये जाने एवं नामान्तरकरण संख्या 16 दिनांक 20–2–2015 यथावत रखे जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि भूर अली की विरासत का मृतक बानो एवं मोहम्मद हुसैन के नाम नामान्तरकरण खुलवा लिया जो गलत है। दो पुत्रियां शकीना एवं मेहमूदा जीवित है जिनके नाम नामान्तरकरण खुलना चाहिए। ग्राम पंचायत ने उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में दावा लम्बित रहते नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया जिसके विरूद्ध दावा किया गया राजस्व मण्डल ने तहसीलदार को रिमाण्ड किया था परन्तु पंचायत ने गलत निर्णय पारित कर दिया। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष अपील की जिसके तहत उन्होंने नामान्तरकरण संख्या 16 दिनांक 20–2–2015 निरस्त कर दिया। विवादग्रस्त आराजियात भूर अली की तन्हा खातेदारी की भूमि है जिसमें अधा हिस्सा भूर अली का है रेस्पोन्डेन्ट्स भूर अली की जायन्दा पुत्रियां है जिनके नाम नामान्तकरण दर्ज होना चाहिए। नामान्तरकरण संख्या 16 ग्राम पंचायत दौराई द्वारा मृतका बानो पत्नी मोहम्मद हुसैन के नाम तस्दीक कर दिया गया है जबकि बानो पत्नी मोहम्मद हुसैन की मृत्यु लगभग 6 वर्ष पूर्व हो चुकी है सरपंच ग्राम पंचायत दौराई द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण विधिविरूद्ध है। विवादग्रस्त आराजियात बाबत विभिन्न न्याायलयों में मामलें विचाराधीन है। विवादित आराजियात का विवादास्पद होना प्रथम दृष्टया ही साबित होता है ऐसी स्थिति में विवादग्रस्त नामान्तरकरण तस्दीक करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। ग्राम पंचायत दौराई द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 16 दिनांक 20–2–2015 मृतका बानो पत्नी मोहम्मद हुसैन के नाम तस्दीक किया गया जबकि मृतका बानो पत्नी मोहम्मद हुसैन का स्वर्गवास दिनांक 9–4–2009 को ही हो चुका था। ग्राम पंचायत द्वारा विवादित नामान्तरकरण संख्या 16 मृत व्यक्ति के नाम तस्दीक किया है जो प्रथम दृष्टया ही शून्य है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–12–2017 विधिसम्मत है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम दौराई स्थित विवादग्रस्त आराजियात कुल 33 बीघा 14 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि के संयुक्त खातेदार हुसैन अली व भूरा पुत्रगण अमीर अली थे। दोनों ही संयुक्त खातेदारों की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तरकरण संख्या 171 दिनांक 29–6–1992 श्री भूर अली की विरासत विधिक वारिसान के नाम स्वीकृत न कर मोहम्मद हुसैन पुत्र भूर अली के नाम तस्दीक कर दिया गया। मोहम्मद हुसैन का दिनांक 29–5–2003 को स्वर्गवास होने पर वाद विचाराधीन होने के दौरान स्थगन आदेश प्रभाव में होने के बावजूद नामान्तरकरण संख्या 16 दिनांक 20–2–2015 को बानो बीबी पुत्री हुसैन अली पत्नी मोहम्मद हुसैन पुत्र भूर अली के नाम सरपंच ग्राम पंचायत दौराई द्वारा स्वीकृत कर दिया। सरपंच ग्राम पंचायत दौराई द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करने

से पूर्व यह भी ध्यान नहीं दिया गया कि श्रीमति बानो बीबी का दिनांक 9–4–2009 को ही स्वर्गवास हो चुका है। मृतक व्यक्ति के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–12–2017 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–12–2017 अन्तर्गत अपील संख्या 24/2015 श्रीमती शकिना व अन्य बनाम श्रीमती गुलाबी व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(लक्ष्मी नारायण मीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर